

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के नियम 24 के अधीन अतिरिक्त आयुक्त के पद की वर्ष 2022-23 हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आस्थगित प्रकरणों (DEFERRED CASES) की बैठक दिनांक 08.01.2025 में की गई अभिशंषा पर निम्नांकित उपायुक्त को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर, अतिरिक्त आयुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री किसनाराम		इनकी पदोन्नति पर रिक्ति दिनांक 01.04.2022 होगी तथा वरीयता क्रम में इनका नाम श्री रजनीकान्त पण्डया के ऊपर रहेगा।

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक कमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(डॉ रवि कुमार सुरपुर)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

CS

संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर)